मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०२४ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में शब्द "या प्रिंट मीडिया" का लोप किया जाए.

* * * *

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३) की धारा १२६ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के उपबंध में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी किसी बात को चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष संप्रदर्शित नहीं करेगा. इन उपबंधों में प्रिंट मीडिया सम्मिलित नहीं है. तदनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के अनुरूप करने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक ४३ सन् १९६४) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : जुलाई, २०२४.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण १९६४ (निर्वाचन अपराध) क्रमांक १३ सन् १९६४ से उद्धरण.

* * * *

धारा-३ चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा : या,

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.